प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात
दिनांक- 03.11.2024

- **अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु जनपद कानपुर देहात पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध कडी कार्यवाही जारी।**
- **थाना शिवली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 162/2024 धारा 392/411 भा0द0वि0 में वांछित चल रहे लूट के अपराधी को थाना पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।**

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व पुलिस उपमहानिरीक्षक, कानपुर रेन्ज, कानपुर, श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 23.05.2024 को रामगंगा नगर उदैतपुर के पास मोटरसाइकिल से जा रहे दम्पत्ति के साथ लूट हो जाने के सम्बन्ध में वादी श्री राकेश कुमार पुत्र श्री सियाराम वर्मा निवासी ग्राम अरसदपुर थाना शिवली जनपद कानपुर देहात द्वारा दिनांक 24.05.2024 को दी गयी तहरीर के आधार पर थाना शिवली पर मु0अ0सं0 162/2024 धारा 392/411 बनाम 03 नफर अभियुक्तगण पंजीकृत किया गया था। उक्त लूट की घटना में शामिल अभियुक्त सन्दीप कुमार उर्फ पट्टू पुत्र हरीलाल कमल उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम दिलीपनगर थाना चौबेपुर जनपद कानपुर नगर को आज दिनांक 03.11.2024 को थाना शिवली पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर समय 11.10 बजे पाण्डु नदी से करीब 500 मीटर शिवली की ओर शिवली-चौबेपुर रोड से गिरफ्तार किया गया। उक्त घटना में शामिल अभियुक्त अरविन्द कुमार उर्फ गोरेलाल पुत्र राजकुमार पाल निवासी ग्राम जादेपुर घस्सा थाना चौबेपुर जनपद कानपुर नगर को पूर्व में ही गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा चुकी है तथा अन्य शेष अभियुक्त सत्यम पाण्डेय पुत्र देवप्रकाश उर्फ लल्ला निवासी ग्राम दिलीपनगर थाना चौबेपुर जनपद कानपुर नगर के विरुद्ध विधिक कार्यवाही प्रचलित है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त सन्दीप उपरोक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. सन्दीप कुमार उर्फ पट्टू पुत्र हरीलाल कमल निवासी ग्राम दिलीपनगर थाना चौबेपुर जनपद कानपुर नगर।

बरामदगी का विवरण-

जामा तलाशी से प्राप्त 150 रुपये।

अभियुक्त से पूछताछ का विवरण-अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि दिनांक 23.05.2024 को मैंने अपने साथियों सत्यम पाण्डेय पुत्र देवप्रकाश उर्फ लल्ला निवासी ग्राम दिलीपनगर थाना चौबेपुर जनपद कानपुर नगर व अरविन्द कुमार उर्फ गोरेलाल पुत्र राजकुमार पाल निवासी ग्राम जादेपुर घस्सा थाना चौबेपुर जनपद कानपुर नगर के साथ मिलकर एक मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति के साथ जा रही महिला से उसकी कान का एक झाला व गले का मंगलसूत्र लूटे थे उसी लूट में ब्रजबाला/झाला अरविंद कुमार उर्फ गोरेलाल के हिस्से में आया था तथा गले का मंगलसूत्र मेरे व सत्यम पाण्डेय के हिस्से में आया था जिसे सत्यम पाण्डेय ने कहीं बेच कर मेरे हिस्से के 2800 रुपये मुझे दे दिये थे जो खर्च हो गये हैं। मैं त्यौहार पर घर आया था तथा आज त्यौहार करके वापस जा रहा था कि आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया।

गिरफ्तार करने वाली थाना शिवली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र सिंह चौकी प्रभारी औनहां
2. का0 1074 अंकित मिश्रा
3. का0 294 राजदीप
4. का0 1038 बृजमोहन